साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 47 | प्रति सोमवार इंदौर, 24 जून से 30 जून 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

1 जुलाई से होंगे लागू

नए आपराधिक कानून

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। मेघवाल ने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के बाद संसद में ये कानून 'मनमाने ढंग से' पारित किए गए। ये विधेयक राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति और करीब छह घंटे तक चली बहस के बाद खाली विपक्षी बेंचों के बीच पारित कर दिए गए। वकीलों के संगठन **AILAJ** ने आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की है।

विरोध में उतरा वकीलों का संगठन

जनता को और वकीलों को तीन नए कानूनों के विरुद्ध करना चाहिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने रविवार को कहा था कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जाएंगे। विपक्ष के आरोपों पर मेघवाल ने कहा, 'कुछ लोग दावा करते हैं कि उनसे सलाह नहीं ली गई। यह झूठ है। औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है और यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी।

मेघवाल ने कहा, 'हमने सभी सांसदों से संपर्क किया, लेकिन दोनों सदनों के सदस्यों सहित केवल 142 ने ही जवाब दिया। देश भर के सभी विधायकों से भी सुझाव मांगे गए, लेकिन केवल 270 ने ही जवाब दिया।' चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मेघवाल पर 'सच्चाई से कंजूसी' करने का आरोप लगाया और कहा कि 1 जुलाई से इन कानूनों का क्रियान्वयन भारत की न्याय व्यवस्था में बाधा डालने के समान होगा। तिवारी ने एक्स पर लिखा, 'इन कानूनों के क्रियान्वयन को तब तक के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि संसद इन तीनों कानूनों पर 'सामूहिक रूप से फिर से लागू' नहीं हो जाती। इन कानूनों के कुछ प्रावधान भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद से नागरिक स्वतंत्रता पर सबसे व्यापक हमले का प्रतिनिधित्व करते हैं।'

इस बीच वकीलों के संगठन AILAJ ने आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री को खुला पत्र भेजा है ।

पत्र में कहा गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अनुरोध है कि 3 दंड संहिताओं के कार्यान्वयन को स्थगित किया जाए। हम, हस्ताक्षरकर्ता, आपसे अनुरोध करते हुए लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार नए आपराधिक संहिताओं – भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 – के कार्यान्वयन को स्थगित करने के लिए आवश्यक निर्णय ले, जो क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं।

(शेष पेज 6 पर)

मोदी का बस चले तो सांसों की कीमत वसूले

किसानों को सम्मान निधि नहीं पंगु बनाने का षड्यंत्र

कृषि आदानों खाद बीज व अन्य की कीमत 2014 से दुगनी

मोदी के बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारों पर थोपे कृषि सुधारो कानूनों के षड़यंत्रों के विरुद्ध किसानों ने लंबा आंदोलन किया। उसे आंदोलन को ठंडा करने फूट डालने किसान सम्मान निधि मोदी सरकार द्वारा बांटी जाने लगी। जो किसानों के सम्मान के लिए नहीं उन्हें आलसी, पंगु, कामचोर, बेरोजगार बनाने का जैसे गांवों में मनरेगा में गांवों के भूमिहीन मजदूरों को कृषि भूमि स्वामियों के खेतों मैं मजदूरी करने से दूर करने का षड्यंत्र रचा गया है। ताकि छोटे कृषक अकेले कृषि भूमि परकृषि कार्य न कर सके और परेशान होकर भूमि बेचकर जाना उनकी मजबूरी बन जाए। इसके लिए किसानों को 100 दिन की मजदूरी और रु. 1 किलो का गेहूं रु. 2 किलो का चावल देकर भूमिहीन मजदूरों को आलसी निकम्मा और काम चोर बनाया गया। अब गांवों के 80% कृषि भूमि हीन मजदूर भूमिहारों के यहां मनरेगा के चलते मजदूरी करने नहीं जाते। सरकार ने उनको रहने के लिये मकान दे दिए। जिसका षड्यंत्र सन 1970 से रचा जा रहा था। और यह मनरेगा भी अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का षड्यंत्र भारतके किसानों की भूमि को हड़पने के अंतर्गत देश पर थोपा गया बिल्कुल वैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सर पर मोदी सरकार किसानों को एक तरफ खाद बीज कीटनाशक बिजली पानी आदि की कीमतें दुगनी कर चुकी है। (शेष पेज 6 पर)

मोदी की सत्ता में पड़ोसियों को कर्ज बांट भारत को घेरता चीन

मोदी को भारत की सीमाओं की सुरक्षा से नहीं कोई मतलब

मोदी का चीन प्रेम देश के उद्योग धंधों को बर्बाद करने के बाद सीमाओं को भी चारों तरफ से घिरवा रहा

देश में मोदी के सत्ता संभालने के बाद मोदी के चीन प्रेम जो चार बार मुख्यमंत्री रहते हुएऔर तीन बार प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की यात्रा पर गया। बदले में देश को सफाई कैशलेस नोटबंदी तालाबंदी के बहाने देश के उद्योग धंधों को उजाड़ कर 5 करोड़ छोटे दुकानदारों व्यवसायों उद्योगों को चौपट करने 40 करोड़ को बेरोजगार बनाने के बाद आज पूरा देश चीनी माल से लदा भरा पड़ा है। मोदी की चीन से कमीशनखोरी अदूरदर्शिता ने भारत को चीन काउपभोक्ता राष्ट्र बना दिया। वर्तमान में भारत का चिन्ह को निर्यात मात्र जहां 26 अरब डॉलर का है वही आयात 115 अरब डॉलर से ज्यादा के हैं। दूसरी तरफ भारत को चीन 4600 किलोमीटर लंबी सीमा पर लाल आंखें दिखाने की तो दूर उल्टे ही उसने लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया पर वह चुप है। इसके साथही नेपाल में चीन ने लगातार हस्तक्षेप कर भारत के विरुद्ध न केवल षड्यंत्र करवा रहा है वरन भारत की 7800 से ज्यादा एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिसका समाचार पिछले सप्ताह छापा गया था। चीन ने श्रीलंका को भी कर्ज बताकर उसके बंदरगाहों पर कब्जा कर दक्षिण से भारत को घेरने की तैयारी जल थल व वायु से कर ली है। पाकिस्तान पुराना शत्रु है और वह उसे लगातार भारत के विरुद्ध टैंक तोपों मिसाइल विमान से लेकर परमाणु बम तक हथियार दे रहा है। बांग्लादेश को भी वह वित्तीय सहायता देकर तीस्ता नदी जल समझौते करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

हर मशीन के बाद हर कक्ष, सभी कक्षों के हर चक्र, सभी चक्रों की एक्सेल शीट बनाई ही नहीं जाती

मतों की गिनती, जीत हार में भी मनचाहा पूरा फर्जीवाड़ा

जिले के निर्वाचन अधिकारी को सारी एक्सेल शीट उम्मीदवारों के साथ ईमानदारी से जनता को दिखाएं

लोकसभा चुनाव में इंदौर में 2600से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया था। जो मात्र 30 से 35% हुआ था। बेशक देपालपुर सांवेर के साथ इंदौर में भी भारी फर्जी मतदान हुआ। जिसे शाम होते होते 60% घोषित कर दिया गया और तीन दिन बाद भास्कर ने 80% छाप दिया था।

फिर 13 में से 3 जून 21 दिन मशीनें स्ट्रांग रूम में बंद करके रख दी गई। जबकि पीछे से फर्जी वाड़े का काम कभी बंद नहीं हुआ। अन्यथा 5 लाख वोट निश्चित ही नोटा को मिलते। और लालवानी की जीत में तीन चार लाख बदल जाती। मैंने दो चुनाव लोकसभा 14 और 19 व एक 22 का महापौर के लड़े हैं। हर बार मैने हर मशीन की हर उम्मीदवार को मिले मतों की सारणी, फिर हर कमरे में लगाई गई 10 मशीनों की हर उम्मीदवार और मशीन की एक्सेल शीट की, इसी प्रकारसभी कमरों की हर चक्र की और अंत में सभी उम्मीदवारों की हर चक्र की के साथ सभी चक्रों की एक्सेल शीट की मांग करता रहा जो हरामखोर जालसाजों ने कभी नहीं दी। यही कार्यशाली पूरे देश की 542 लोकसभा सीटों में इसी तरह जालसाजी पूर्ण घोषणाओं से सट्टा देश को चुनाव जिताया गया और मैं गलत हूं मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे गलत सिद्ध करेंऔर जनता के सामने सच लाएं। हर जिले का कलेक्टर से लेकर पूरे देश का चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष कार्यशैली को जनता के सामने रख बताएं। पर कहीं भी द्वितीय स्तर में सभी मशीनों की हर कमरे की, तृतीय स्तर पर सभी कमरों की हर चक्र की एवं चतुर्थ स्तर परसभी उम्मीदवारों की सभी चक्रों की अंतिम कुल सकल महायोग कीभीम न केवल साइट पर लगे बल्कि सूचना के अधिकार में भी उपलब्ध करवाईयह बात सन 2014 से कह रहा हूं जो और राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों को समझ में नहीं आ रही।

जब मैं मार्च 24 में छाप रहा था। कि 45 दिन लंबी वोटिंग करवाने और गिनती के लिए स्ट्रांग रूम में रखने का उद्देश्य ही यही था। वोट बढ़ाने से लेकर जो उन्होंने गुजरात में की थी, और पूरी हाथ से निकली हुई सत्ता को आखिरी समय में पूरा पलटा दिया था। से लेकर मशीन बदलने वोट बदल ने के लिए ही उन्होंने 45 दिन से ज्यादा का खेला किया था। यह जालसाजी होगी। अभी भी 99% बड़ी-बड़ी पार्टियों के नेताओं से लेकर नीचे तक लोगों को एक भयंकर खेल समझ में नहीं आ रहा और जिले के कलेक्टरो की हर कमरे मे खोली गई मशीनों की

हर मशीन में हर उम्मीदवार को मिले मतों की सारणी को बनाने में 20 मिनट लगे। फिर सभी सारणियों को जोड़ने के लिए एक्सेल शीट या वर्गीकृत सारणी बनाकर जिसमें 30 मिनट लगे ही यह सिद्ध किया जाएगा कि किसी कमरे में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले।

फिर सभी कमरों की एक्सेल शीट को इकट्ठा कर सभी कमरों की एक्सेल शीट में हर चक्र में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले को बनाने में 50 से 60 मिनट लगे। को समझ जाए।

जब एक चक्र की एक्सेल शीट बनाने में 90 से 120 मिनट लगते हैं। औसतन 15 से 18 चक्र की एक्सेल शीट बनानेऔर आड़ी व खड़ी पुष्टि करने में काम से कम 36 से 48 घंटे लगना मामूली बात है। तो 8 से 12 घंटे में परिणाम कैसे घोषित हो जाते हैं?

क्योंकि यह झमेला बहुत भारी है। और हर जिले में जालसाज हरामखोर एसडीएम एडीएम स्तर का अधिकारी एक कमरे में अलग छुप कर बैठता है। और मन से ही फर्जी एक्सेल शीट भरकर घोषित करता रहता है। और जीत हार का फैसला हो जाता है। और फिर से गिनती करवा ले तो अभी भी उनकी 40 सीट नहीं आ पाएंगी।

अभी भी सूचना के अधिकार में पूरे देश के जिलों में निर्वाचन अधिकारी से हर मशीन की हर कमरे की हर चक्र की, फिर सभी चक्रों की आड़ी खड़ी योग, कुल योग महा योग व अंत में कुल सकल महायोग की आड़ी खड़ी सत्यापित योग की सत्यापित प्रतियां जिलों के कलेक्टर से मांग लीजिए।

जिसने चुनाव करवा कर गिनती करवाई थी। किसी भी हरामखोर के पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि बनाई ही नहीं गई तो देंगे क्या खाक? जो शुद्ध करता है की गिनती में भी पूरा फर्जीवाड़ा होता है और जो अन्य पार्टियों के एजेंट होते हैं। वह लग कर तीन-चार घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते और यही सब कुछ फर्जी बाड़े में काम आता है। जबकि हर कमरे में हर मशीन के साथ एक एजेंट बैठने के अतिरिक्त हॉट 10 मशीन पर पांच व्यक्ति एजेंट के रूप मेंनिगरानी करने और हर कमरे की एक्सेल शीट बनाने में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को साथ में बैठना चाहिए। जो कोई भी नहीं करता। और गिनती में भी पूरा फर्जीबाड़ा होता है। अब तो मशीन खुले हुए 16 दिन गुजर गए अब तो सूचना का अधिकार में जिले के निर्वाचन कार्यालय से हर मशीन हर कमरे हर चक्र व सभी चक्रों की सीट मांगी जानी चाहिए। इससे बड़ी सच्चाई का राज खुल जाएगा।

इसमें 3 एक्सेल शीट हैं। जो फाइल खोलने पर नीचे तीन स्तर की हैं। पहले माना कि 15 उम्मीदवार हैं। हर उम्मीदवार व मशीन के योग की जिसमें 20 मिनिट लगे, फिर हर उम्मीदवार के 10 मशीन के महायोग के कमरे की जिसमें 30 मिनिट लगे, बाद में सभी कमरों की पहले चक्र के सकल महायोग की जिसमें 60 मिनिट लगे, फिर हर उम्मीदवार को मिले मतों की, अंत में सभी उम्मीदवारों को हर चक्र माना कि 18 चक्र में गिनती हुई। में मिले मतों की, हर चक्र की हर उम्मीदवार को मिले सभी चक्रों के कूल सकल महायोग के बाद चुनाव परिणाम घोषित किये जा सकते हैं। क्योकि 1चक्र में 110 या 2 घंटे लगे तो 18 चक्र की गिनती में 36 घंटे लगेंगे न्यूनतम। या 30 से 48 घंटे लगेंगे। तो 8-10 घंटे में चुनाव परिणाम कैसे आ जाते हैं? चुनावों में हर कमरे मैं लगाई औसतन 10 evm खोलकर हर उम्मीदवार को मशीनों में मिले मतों की गिनती के लिए वर्गीकृत सारणी या एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। जो कि कहीं नहीं बनाई जातीमां से ही एडीएम एसडीएम में कमरे में अलग से बैठकर सीट भरते रहते हैं और फर्जीवाड़े से पूरी जीत हार कर देते हैं। अगर बनाई जाती हैं, तो सूचना के अधिकार में देश के हर नागरिक को मांगने का हक है। देश के किसी भी कोने में जिला अधिकारी से यह चुनावी 4 स्तर की एक्सेल शीट मांग कर देख लीजिए। कोई नहीं देगा क्योकि किसी ने बनाई ही नहीं।

ईवीएम और कमरे की एक्सलशीट का प्रारूप

room 1 Round 1

S.No.	candidate name	machine no 1	machine no 2	machine no 3	machine no 4	machine no 5	machine no 6	machine no 7	machine no 8	machine no 9	machine no 30	Total
1												0
2												0
3												0
4												0
5												0
6												0
7												0
8												0
9												0
10												0
11												0
12												0
13												0
14												0
15												0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

हर कमरे के चक्र की एक्सलशीट का प्रारूप

Round 1

S.No.	candidate name	Room no 1	Room no 2	Room no 3	Room no 4	Room no 5	Room no 6	Room no 7	Room no 8	Room no 9	Room no 10	Room no 11	Room no 12	Room no 13	Room no 14	Room no 15	Room no 16	Room no 17	Room no 18	Total
1																				0
2																				0
3																				0
4																				0
5																				0
6																				0
7																				0
8																				0
9																				0
10																				0
11																				0
12																				0
13																				0
14																				0
15																				0
	Total	0	0	0								0	0	0	0	0	0		0	0

सभी कमरों के सभी चक्रों की एक्सलशीट का प्रारूप

Final

S.No.	candidate name	Round no 1	Round no 2	Round no 3	Round no 4	Round no 5	Round no 6	Round no 7	Round no 8	Round no 9	Round no 10	Round no 11	Round no 12	Round no 13	Round no 14	Round no 15	Round no 16	Round no 17	Round no 18	Total
1																				0
2																				0
3																				0
4																				0
5																				0
6																				0
7																				0
8																				0
9																				0
10																				0
11																				0
12																				0
13																				0
14																				0
15																				0
	Total	0	0	0								0	0	0	0	0	0		0	0

कोविडकाल में 50 से ज्यादा केंद्र बनाने में अरबों का भ्रष्टाचार

कलेक्टर मनीष सिंह सीएमओ सेत्या लोनिवि ईई सक्सेना ने अरबों किए हजम

कांग्रेस ने राधास्वामी केंद्र को हवा दे मुद्दा उठाया, तो उस कोरोना के भ्रष्टाचार में 10 से 20000 करोड़ का खेल हुआ

इंदौर में 23 मार्च 2020 के बाद लगे कोरोना में, 1995 से पदस्थ एडीएम से निगमायुक्त के पद पर रहते मनीष सिंह ने हीं इस शहर के नेताओं भू कॉलोनी ड्रग पेट्रोल शिक्षा भांग मुनक्का वनों की कटाई वन भूमि पर कब्जे उसे पर कालोनियां फैक्ट्रियां उद्योग खड़े करने वालों के साथ सैकडों किस्म के माफिया को पाल-पोसकर मोटी कमाई की और आपका मनीष सिंह के चरणों में डाला।

इसी से खुश होकर भ्रष्टाचार शिरोमणि को 28 मार्च 2020 को पुनः इंदौर में कलेक्टर बनाकर हर प्रकार की, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार खोलने बंद करने, उद्योगों फैक्ट्री कार्यालयों, व्यवसायों को को चालू रखने बंद करने, यातायात, पेट्रोल पंप, शिक्षण संस्थान निजी चिकित्सालय खोलने बंद करने से लेकर, फर्जी कोरोना के डर से गिरफ्त में आए बीमार हुए लोगों के लिये निजी सरकारी के साथ बनाए गए। सबसे ज्यादा लूट जाटों के नाम पर निजी सरकारी अस्पतालो पेथो लेबस में की गई। जो लगभग 10000 करोड रुपए से ज्यादा थी।

सरकारी व 500 से ज्यादा निजी चिकित्सालय में लूटतंत्र भी मनीष सिंह की निगरानी में ही चल रहा था। कै साथ कोविड सेंटर्स में बीमारो व परिजनों लिए अस्पतालों

में बिस्तर दिलवाने, चिकित्सा के लिए दवाइयां रेमेडेशवियर इंजेक्शन ऑक्सीजन बुकिंग करवाने दिलवाने से लेकर जिसमें डॉक्टर के साथ कलेक्टर डिप्टी सहायक तहसीलदार व अन्य सरकारी व निगम अधिकारियों ने सब में पैसा बटोरने से लेकर सभी गरीबों व अन्यों ने अनाज सब्जी तेल आटा शक्कर भोजन सामग्री आदि खरीदी के साथ बांटने मैं भी सरकारी अधिकारियों से लेकर कंट्रोल की दुकानों सभी विधायकों पार्षदों निगम कर्मियों ने जनता को बांटने के नाम से लिकर लाखों की मौतके बाद शमशानों में शवदाह के लिए भी प्रतिशव रु दो 5000 से लिये जा रहे थे। करोड़ों रुपए का लूट का तांडव किया।

शहर की साफ सफाई करने, दवाओं का छिड़काव करने, शहर से बाहर जाने अंदर आने की जनता को वाहनो को छूट, आज्ञा परमिट देने किशोर वाधवानी का7000 करोड़ का गुटका बिकवाने जैसे अनेकों कांड करने में मोटी वसूली लूट करने पैसा बटोरने के लिए पदस्थ कर दिया गया था। जिसने हर कदम हर जगह हर कार्य में जनताके साथसरकारी धन दवाइयां औषधीयों सामग्री भारी बंदरबांट की गई। अकेले इंदौर को मिले 10 लाख रेमडेसवियर इंजेक्शन में ही 10000 करोड़ की लूट जनता से कर ली गई थी। वह मुफ्त दिये गए इंजेक्शन रू 5000 से लेकर 2-3 लाख रु तक की डॉक्टरों से लेकर नेताओं तक प्रति एंपुल वसूली की गई।

जबकि विश्व घातक संगठन व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के के इस सारे षड़यंत्र के पीछे सारा उद्देश्य था, कि कोरोना की आड़ में पूरे विश्व की आबादी को 780 करोड़ से घटकर 200 करोड़ पर लाना। व भारत की आबादी को 140 करोड़ से घटाकर 25 से 40 करोड़ पर लाना था। इसके लिए 28 महीना के षड्यंत्र में देश व दुनिया के सारे छोटे उद्योग धंधों व्यवसाय एवं बाजारों को बीमारी के भय की आड़ में बंद कर नष्ट कर लगभग विश्व के 500 करोड़ से ज्यादा लोगों को भूख बेरोजगारी से अकाल मृत्यु का तांडव करना था। परंतु अकेले दम पर विश्व घातक संगठन की जाल साजियों के विरुद्ध लगातार एक मोबाइल और माइक से सच्चाई के वीडियो से बता कर 2 महीने में मध्य प्रदेश व 6 महीने में देश खुलवा लिया था। इंदौर में बीमारी की आड़ में सभी सरकारी व निजी अस्पतालों मैं बिस्तर बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करना 50 से ज्यादा लगभग 10000 लोगों के लिए नये केंद्रो की स्थापना शहर में और शहर के चारों तरफ गांवों के आसपास जुड़े क्षेत्रों में भी की गई थी।

सभी केंद्रों पर टेंट तंबू के साथ, हजारों की संख्या में पलंग बिस्तर चादरें टेबल कुर्सियां आदि मनमाने भाव में भारी मोटे कमीशन पर आपातकालीन व्यवस्था के नाम पर खरीदे व व्यवस्था कागजों पर किये गए। सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट व अन्य सुविधाओं के नाम पर भी कलेक्टर मनीष सिंह के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पहले डा प्रवीण जड़िया को डरा धमका बीमार बना भगाया व बाद में डा सेत्या जो झाबुआ में पदस्थ थे। को इंदौर में सीएमएचओ बनाया गया व लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री मनोज सक्सैना और उसके चेले सहायक यंत्री सविता उपयंत्री राजेंद्र शर्मा और खास ठेकेदार इरफान, निगमायुक्त प्रतिभा पाल व वहां के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य ठेकेदारों ने शहर में बैरिकेड लगाने, चिकित्सा व्यवस्थाएं करने आदि में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। अस्पतालों के अतिरिक्त बनाए लगभग 50 से ज्यादा कोविड सेंटरो पर 5 से 20 करोड़ जो कि अधिकांश कागजों पर था, खर्च किया गया जिसे रोकने के लिए बार-बार केंद्रों पर जाकर वीडियो बनाकर डाले गए। जिस कांग्रेस को इसके बारे में अगर आंदोलन करना हैतो सूचना के अधिकार में जानकारी मांग ले की कोविद काल में अस्पतालों, नये केदो को बनाने में कहां पर कितनापैसाकिस मध में खर्च किया गया।

विधानसभा लोकसभा चुनावों में लोक निर्माण विभाग के संभाग एक व 2 और और नगर निगम के किन ठेकेदारों ने वीआइपी व्यवस्था, मतदान केंद्रो पर टेंट तंबू, बिजली-पानी कैमरे टेबल कुर्सियां विद्युत लाइन स्टेडियम में मशीन वितरण संग्रहण और गिनती के नाम भोजन व्यवस्था चाय पानी टेंट तंबू टेबल कुर्सी बैरिकेडिंग बिजली ध्वनि पत्रकारों के लिए स्पेशल तंबू का हाल टीवी प्रोजेक्टर कैमरे आदि की व्यवस्था किसने की, कितना खर्च आया कहां से आवंटित हुआ बिलों का भुगतान आदि की जानकारी संग्रहित करने के बाद में ही कांग्रेसियों को सही ढंग से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने का अवसर प्राप्त होगा।

इसी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के हर जिले में वहां के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ नगर निगम पालिकाओं के महापौर, आयुक्तों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने भी खुलकर हजारों करोड़ों हजम किया।

अब विपक्ष मजबूत संसद में करें सवाल

पिछले 10 वर्षों के भ्रष्टाचारों के बारे में विपक्ष करे प्रश्न

निजीकरण, वित्तीय संस्थाओं को खाली करने, सरकारी संपत्तियों को बेचने, बेरोजगारीके बारे में दृढ़ता से सरकार से संसद में जवाब मांगें।

लोकसभा में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को पूछना चाहिए की अदानी और अंबानी की कंपनियों के अतिरिक्त किन कंपनियों पर माल और सेवाओं पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता और सभी से प्रतिवर्ष कितने लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। उसकी वसूली कब और कैसे होगी? इन्हें आखिर छूट देने का कारण क्या था, क्योंकि मोदी उनके साझेदार हैं? शेयर होल्डर हैं?

सभी राष्ट्रीय राज मार्गो के सड़कों के निर्माण में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ़ रेट्स से कितना गुना ज्यादा पर डीपीआर बनाई गई, उनके ठेके किनके पास में है? देश में किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण की वायबिलिटी, लागत उपयोगिता गुणवत्ता नियंत्रण को बनाने से पहले व बाद में जांचने के लिए कोई केंद्रीय तकनीकी ऑडिट टीम देश में है? अगर नहीं है, तो कब बनाई जाएगी?

जब एक देश एक जीएसटी का कानून पेट्रोल डीजल गैस आदि पर 7 साल बाद में भी क्यों नहीं लगाया जा रहा, या उसके दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा?

देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों मैं मशीन के फर्जी वाले के बाद में गिनती में भी भारी फर्जी बड़ा होता है। गिनती के लिए मशीन खोलने के बाद कमरे की हर मशीन की, कमरों के बाद सभी कमरों के हर चक्र की और बाद में सभी चक्रों की एक्सेल शीट की कापियां चुनाव आयोग हर जिले के निर्वाचन की वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता?

देश में सूचना का अधिकार लगे 19 साल गुजर गएपरउसकी धारा 4 के25 बिंदुओं की जानकारी केंद्रीय मंत्रालयो से लेकर राज्यों के मंत्रालयों तक के सभी विभागों ने अपनी साइट पर क्यों नहीं डाली, कब तक डाली जाएगी?

प्रवेश व अन्य सभी शैक्षिक और पेशेवर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के 10 से 20 सेट क्यों नहीं बनाए जाते, जब सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और कॉपियां कंप्यूटर से जांची जाती हैं? ताकि एक दो पेपर लीक होने पर भी किसी परीक्षा को रद्द न करना पड़े और किसी भी परीक्षार्थी को जो योग्य और सक्षम हैं, निराश ना होना पड़े। जहां जो प्रश्न पत्र लीक हो गया है। तो तत्काल उस प्रश्न पत्र को को हटाकर अन्य प्रश्न पत्र उस क्षेत्र के परीक्षा केंद्र में बांटे जाने चाहिए।

100 करोड़ के शराब घोटाले मेंअरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया गया हैपर इंदौर वह मध्य प्रदेश में तो पिछले 20 साल सेअकेले आबकारी मेंहर वर्ष हजारों करोड़ केघोटाले होते हैंजब चुनावहुआ थाउसकेपूर्व देसी विदेशी शराब कीमध्य प्रदेश की दुकानों पर कीमत क्या थीऔर चुनाव हो जाने परिणाम घोषित हो जाने के बाद उसमें 10 से 20३ की वृद्धि बिना किसी घोषणा के करके कैसे वसूली की जा रही है?

मोदी सरकार ने केंद्रीय सत्ता में आने के बाद 10 साल में कितने पीएसयू बेंचे? उनकी मूल व बाजार की वर्तमान कीमत क्या थी? कब उसकी निविदायें जारी हुई? कितने लोगों ने बोली लगाई? कितने में बेचे गए? बेंचने के बाद उसकी वह राशि कहां विनियोजित की गई, उसका जवाब मांगिये?

प्रशासनिक सेवाओं में भारत में 10 साल में कितने लोगों की सीधे बिना संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के किस आधार पर कैसे क्यों और किस आवश्यकता के अंतर्गत नियुक्तियां दी गई? कौन-कौन व्यक्ति कहां-कहां काम कर रहा है? शैक्षणिक योग्यता व अनुभव क्या थे, जिनके आधार पर भर्ती की गई? लोकसभा के पटल पर जानकारी मांगिए।

प्रश्न अभी सैकड़ो है?

उपरोक्त प्रश्नों में सरकार की चूलें हिल जाएंगी।

साप्ताहिक समय माया

नशे में डूबता बचपन

10 से 17 साल के बच्चों को तत्काल इलाज मिले तो छूटेगी लत... नशे से प्रभावित राज्यों में मध्यप्रदेश के 9 जिले, इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर... भांग-चरस का नशा फैल रहा ज्यादा

केंद्र सरकार और एम्स की एक रिपोर्ट ने नशे को लेकर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। देशभर में किसी न किसी तरह के नशे की लत के शिकार सबसे प्रभावित जिलों की संख्या 127 है, जिसमें से 9 मध्यप्रदेश के हैं। इस लिहाज से मप्र, उत्तरप्रदेश के 13 जिलों के बाद सबसे ज्यादा नशे की समस्या वाले जिलों के साथ देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। यह सर्वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने 2018 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशे की लत पर किया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में ऐसे सभी जिलों को चिन्हित किया है, जहां तत्काल नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की जरूरत है। इनमें मप्र के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, रीवा और उज्जैन जिले भी शामिल किए गए हैं।

इंदौर-भोपाल में 50 हजार बच्चों को सूंघने वाले नशे की लत

सबसे चिंताजनक मामला छोटे बच्चों में नशीला पदार्थ सूंघकर नशा करने की बढ़ती समस्या का सामने आया है। देशभर में इसके शिकार हर 10 बच्चों में से एक मप्र का है। इसको देखते हुए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने नशा मुक्ति और लत के शिकार लोगों के इलाज के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार किया था, जिसे 2023 तक पूरा किया जाना था।

नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में 127 जिलों का चयन किया गया था। इसमें एनजीओ की मदद से कार्यक्रम संचालित किए जाने की योजना थी। प्लान के तहत हर नशे से समस्याग्रस्त जिले में काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां नशे की लत के शिकार लोगों से संपर्क कर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। वहीं कुछ जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, जहां काउंसलिंग और इलाज की सुविधा होगी। इसके लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने एनजीओ से प्रस्ताव भी मंगवाए हैं। इन केंद्रों को सरकार शत-प्रतिशत अनुदान देगी। इन संस्थाओं को राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजना होंगे। चुनाव निपटते ही एक्शन में सरकार, रिपोर्ट पर राज्यों को भेजे दिशा-निर्देश- नशे की लत पर यह रिपोर्ट कुछ समय पहले ही एम्स ने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंपी थी। उस दौरान चुनाव चल रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार के स्तर पर कोई पहल नहीं की जा सकी। हाल ही में चुनाव निपटने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आला अफसरों की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों को रिपोर्ट के अंश भेजे गए हैं। इसके हिसाब से राज्यों को काउंसलिंग सेंटर और नशामुक्ति केंद्र खोलने को कहा है।

31 लाख लोगों को शराब की आदत

देशभर में नशे के जाल में उलझे लोगों में सबसे ज्यादा 16 करोड़ लोग शराब की लत के शिकार हैं। इसमें से भी 3 करोड़ ऐसे हैं, जो शराब पर निर्भर हो चुके हैं। इस नशे के शिकार लोगों के मामले में उत्तर प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु के बाद मप्र चौथे स्थान पर है, जहां 31 लाख लोग शराब के नशे की गिरफ्त में हैं।

अफीम के कारण नाम : मंदसौर, नीमच भी नशे से प्रभावित जिलों की सूची में

मप्र के जिन नौ जिलों को केंद्र सरकार ने सूची में शामिल किया है, उसमें दो जिले मंदसौर और नीमच ऐसे हैं, जहां अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये दोनों जिले सरकार से अफीम उत्पादन के लिए अधिसूचित हैं। यहां नशे की समस्या की एक बड़ी वजह यह भी है। अब तो सरकार ने फिर भी सख्ती की है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से बाजार में अफीम डोडा पहुंच जाता है, जो नशा करने वालों की खुराक के रूप में काम आता है। नीमच-मंदसौर का ही कारोबार रतलाम और उज्जैन तक फैल गया है।

बच्चों में नशे के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर, किशोर अधिक

देश में इरेजर,व्हाइटनर, पंक्चर बनाने का सॉल्यूशन व दूसरे नशीले पदार्थ सूंघकर नशा करने वाले बच्चों की संख्या लगभग 4.50 लाख है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास समूह बनाकर नशा करते बच्चों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। लगभग 50 हजार बच्चों के साथ मप्र देश में दूसरे स्थान पर है। इंदौर और भोपाल में नशे के शिकार ऐसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। किशोरवय उम्र वालों में तो यह संख्या बहुत चौंकाने वाली है। सर्वे के मुताबिक नशे की लत के शिकार 10 से 17 वर्ष के 18 लाख किशोरों को तत्काल इलाज की जरूरत है।

4.50 लाख

इरेजर, पंक्चर बनाने का सॉल्यूशन व दूसरे नशीले पदार्थ सूंघकर नशा करने वाले बच्चों की संख्या

50 हजार

बच्चों के साथ मप्र देश में दूसरे स्थान पर है।

18 लाख

देशभर में नशे की लत के शिकार 10 से 17 वर्ष के किशोरों को तत्काल इलाज की जरूरत है।

16 करोड़

लोग देश में नशे के जाल में में उलझे, शराब के सबसे ज्यादा शिकार।

इलाज : 75 प्रश लोग चाहते उपचार, पर सुविधा नहीं

अल्कोहल, गांजा, भांग, चरस, अफीम या दूसरे नारकोटिक ड्रग्स की लत के शिकार लोगों के इलाज के मामले में भारत दुनिया में सबसे निचले पायदान पर खड़े देशों में से है। पहली बार नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत की है। अल्कोहल की लत का मामला ही लें तो हर 5 लोगों में से एक को इलाज की जरूरत है, जबकि फिलहाल यह 38 में से सिर्फ एक को मिल पाती है। हेरोइन, कोकीन जैसे ड्रग्स के मामले में तो इसकी लत के शिकार 180 लोगों में से सिर्फ एक को ही इलाज की सुविधा मिल पाती है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 75 प्रतिशत लोग नशा छोड़ना चाहत हैं, लेकिन उन्हें बेहतर उपचार नहीं मिल पाता। कमोबेश यही हालत चरस, गांजा, भांग की लत के शिकार लोगों की है। भांग के मामले में 11 में से एक व्यक्ति को और चरस व गांजा के मामले में 7 में से एक व्यक्ति को इलाज की जरूरत है, लेकिन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों को छोड़ दें तो अधिकांश जिलों में नशा मुक्ति केंद्र या काउंसलिंग की व्यवस्था ही नहीं है।

रानी दुर्गावती बलिदान दिवस

वीरता, सौंदर्य और कुशल शासन की बेमिसाल कहानी

रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशजों के गढ़मंडला पर अधिकार था. शादी के 4 वर्षों के बाद ही दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती के पति राजा दलपतशाह का निधन हो गया. जिसके बाद रानी दुर्गावती ने इस राज्य का शासन संभाला.

इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कम संख्या नहीं हैं. लेकिन उनमें से केवल रानी दुर्गावती ऐसी हैं जिन्हें उनके बलिदान और वीरता के साथ गोंडवाना का एक कुशल शासक के तौर पर भी याद किया जाता है. 24 जून को देश उनका बलिदान दिवस मनाता है जब उन्हें मुगलों की आगे हार स्वीकार नहीं की और आखिरी दम तक मुगल सेना का सामना कर उसकी हसरतों को कभी पूरा नहीं होने दिया.

इस क्षेत्र में था शासन

रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था. उनका राज्य गोंडवाना में था. वे कलिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं. दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशजों के 4 राज्यों, गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, में से गढ़मंडला पर अधिकार था. दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती से विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपतशाह का निधन हो गया.

खुद संभाली बागडोर

पति के निधन के समय समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था अतः रानी को स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभालना पड़ाय वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था. रानी ने 16 साल तक इस क्षेत्र में शासन किया और एक कुशल प्रशासक की अपनी छवि निर्मित की. लेकिन उनके पराक्रम और शौर्य के चर्चे ज्यादा थे. कहा जाता है कि कभी उन्हें कहीं शेर के दिखने की खबर होती थी, वे तुरंत शस्त्र उठा कर चल देती थीं और और जब तक उसे मार नहीं लेती, पानी भी नहीं पीती थीं.

खूबसूरती की तारीफ अकबर तक

रानी दुर्गावती बेहद खूबसूरत भी थीं. जब मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था. अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनिवासे की शोभा बनाना चाहता था. बताया जाता है कि अकबर ने उन्हें एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने ऐसा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला उठा.

मुगलों के विरूद्ध

रानी दुर्गावती ने मुगल शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था और हर बार उन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इंकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना. दो हमलों के बाद 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला किया तब तक रानी की सैन्य शक्ति कम हो गई थी. ऐसे में रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया.

ऐसे हुआ अंत

युद्ध के दौरान पहले एक तीर उनकी भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल फेंका. दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया, रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में ही रह गयी. इसके बाद तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया. अंत समय निकट जानकर रानी ने वजीर आधारसिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ. अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गयीं.

मधुमेह

जागृति दिवस

27 जून

"स्वस्थ शरीर ही जीवन का मूल आधार, इसके बिना सब है बेकार"

मधुमेह से बचने के लिए शारीरिक कसरत और संयमित भोजन जरूरी

विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है। आप तेज चलिए मधुमेह पीछे हो जाएगा। वहीं वजन को नियंत्रित रखे गर्भवती महिलाएं वरना मधुमेह का खतरा हो जाएगा। आप तेज चलेंगे तो मधुमेह पीछे छूट जाएगा।

विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है। आप तेज चलिए, मधुमेह पीछे हो जाएगा। वहीं, वजन को नियंत्रित रखे गर्भवती महिलाएं, वरना मधुमेह का खतरा हो जाएगा। आप तेज चलेंगे तो मधुमेह पीछे छूट जाएगा। अगर आप चलना यनी तेज टहलना छोड़ दिए तो मधुमेह आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में हरहाल में सभी को शारीरिक कसरत एवं संयमित भोजन का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। मधुमेह रोगियों के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट तक तेज कदमों से जॉगिंग बहुत लाभकारी होता है।

वहीं गर्भवती महिलाओं को हरहाल में अपना वजन नियंत्रित रखना चाहिए। वरना उन्हें भी शुगर की समस्या घेर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के चिकित्सक बताते हैं कि मधुमेह होने से बचना ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। अन्यथा यह बीमारी अविरल निर्बाध रूप से बढ़ती रहती है। डायबिटीज रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 27 जून को 'मधुमेह जागृति दिवस' मनाया जाता है। मधुमेह अनुवांशिक कारणों के आलावा अनियमित जीवन शैली, तनाव, शारीरिक व्यायाम का ना होना इस बीमारी का मुख्य कारण है। मधुमेह रोगियों की संख्या का तेजी से बढ़ना चिंता का विषय बन चुका है।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू स्थित इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म विभाग के प्रो. एनके अग्रवाल बताते हैं कि मधुमेह पचन संबंधित बीमारी है, जिसमें शुगर न पचने से ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है और मरीज को उसके द्वारा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। मूलतः चार प्रकार की पाई गयी है। इसमें ज़्यादातर लोगों में टाइप दो पाई गयी है। अन्य, जैसे टाइप एक और गर्भावस्था-जनित मधुमेह कम संख्या में देखी गई है। ये सभी प्रकार की मधुमेह की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारा देश विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी वाले देशों में चीन के बाद द्वितीय क्रम में है। मधुमेह होने से बचना ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। अन्यथा यह अविरल निर्बाध रूप से बढ़ती रहती है।

प्रो. अग्रवाल ने बताया कि मधुमेह से बचने के लिए शारीरिक कसरत करने और संयमित भोजन करने की ज़रूरत होती है। दिन में 30 मिनट तेज कदमों से टहलना या जॉगिंग से बहुत फायदा होता है। भोजन में रोटी, रेशे दार हरी सब्ज़ी व फल और करीब आधा लीटर बिना मलाई का दूध लेना चाहिए। चीनी भी धीरे-धीरे छोड़ देने से शुगर जल्दी कोंट्रोल होता है।

मधुमेह कुछ लोगों में शुरुआती स्थिति में होता है और ऐसा ही कई साल बना रहता है। इन लोगों को व्यायाम और भोजन के परहेज़ से सबसे ज़ुयादा लाभ मिलेगा। जिनकी शुगर ज़ुयादा बढ़ी हो तो उनको खाने के परहेज़ और कसरत के साथ साथ दवाइयां भी देनी पड़ती है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में विभिन्न स्थितियों के मधुमेह रोगी आते हैं और चिकित्सा का लाभ लेते हैं। कोविड और म्यूकोर फ़ंगस इन्फ़ेक्शन के लिए भी यहां मधुमेह की चिकित्सा की सुविधा है।

गर्भकाल में मधुमेह से रहें सावधान

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू की पूर्व सीनियर रेजिडेंट व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. संध्या बताती हैं कि 27 जून को डायबिटीज के रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 'मधुमेह जागृति दिवस' मनाया जाता है। मधुमेह अनुवांशिक कारणों के आलावा अनियमित जीवन शैली, तनाव, शारीरिक व्यायाम का ना होना इस बीमारी का मुख्य कारण है। मधुमेह रोगियों की संख्या का तेजी से बढ़ना चिंता का विषय बन चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक रूप से 1980 में 108 मिलियन डायबिटीज के मरीज थे। 2014 में इनकी संख्या 422 मिलियन हो गई। 1980 के मुकाबले 2014 में डायबिटीज पीड़ित महिलाओं की संख्या में 80 फीसद बढोतरी हुई है। (4.6 फीसद से 8.3 फीसद)। मधुमेह रोग का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है लेकिन यदि मधुमेह रोग महिला में हो और खासतौर पर गर्भावस्था के दौरान हो तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है।

गर्भकालिन मधुमेह उन महिलाओं को भी हो सकता है जिन्हे कभी मधुमेह की बीमारी ना रही हो। गर्भावस्था के दौरान दूसरी एवं तीसरी तिमाही में डाइबिटीज के होने का खतरा ज्यादा होता है। भारत में हर सात में से एक गर्भवती महिला को मधुमेह होने का खतरा रहता है। महिलाओं में गर्भकालिन मधुमेह होने का एक कारण महिला का वजन भी हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था दौरान वजन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है।

गर्भावधि में आहार विहार को नियंत्रित कर मधुमेह के खतरे को कम किया जा सकता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमे साबुत अनाज और अपरिष्कृत अनाज एवं कम वसा वाले प्रोटीन का प्रयोग करें। अच्छे आहार के साथ चिकित्सक की सलाह से हल्के व्यायाम भी करने चाहिए। गर्भावधि मधुमेह स्वयं ठीक हो जाता है। यह जीवन भर चलने वाले टाइप एक एवं टाइप दो मधुमेह से भिन्न होता है।

साप्ताहिक समय माया

1 जुलाई से होंगे लागू नए आपराधिक कानून

पेज 1 का शेष

एक ओर, नए आपराधिक कानून मौजूदा तीन कानूनों के प्रावधानों को पुनः क्रमांकित करने और/या पुनर्संरचना करने की कवायद है, जिसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक परिवर्तन भी शामिल किए गए हैं, जिनमें 'शून्य एफआईआर' को वैधानिक आधार प्रदान करना, समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना और व्यभिचार के अपराधीकरण के दायरे में महिलाओं को शामिल करना, जांच पूरी करने के लिए समय सीमा लागू करना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देना, द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना आदि शामिल हैं।

दूसरी ओर, ऐसे कई परिवर्तन हैं, जिन्हें यदि संहिताओं के माध्यम से लागू होने दिया गया तो देश भर में मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरा हो जाएगा। दुख की बात है कि इन परिवर्तनों को आवश्यक परामर्श और बहस के बिना संहिताओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। सबसे पहले, हम कानून में निहित उन कठोर प्रावधानों को सूचीबद्ध कर रहे हैं जो हमें सबसे अधिक चिंताजनक लगते हैं।

क) बीएनएस की धारा 113, कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से 'आतंकवादी कृत्य' की एक विस्तृत परिभाषा को अपनाती है, जबकि यूएपीए में मौजूद दो (हालांकि अपर्याप्त) सुरक्षा उपायों को खत्म कर देती है, अर्थात् सरकार से अभियोजन की मंजूरी और मंजूरी दिए जाने से पहले सबूतों का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की अनिवार्य आवश्यकता।

ख) आम धारणा के विपरीत, राजद्रोह का अपराध (आईपीसी की धारा 124ए) बीएनएस की धारा 152 के तहत एक नए नाम के तहत बरकरार रखा गया है, और अधिक कठोर दंड के अधीन है। केंद्र सरकार ने इस चिंता को नजरअंदाज कर दिया है कि राजद्रोह एक बहुत व्यापक और मनमाना अपराध है जिसका संवैधानिक गणराज्य में कोई स्थान नहीं है। इसने पहले से ही इस व्यापक प्रावधान के दायरे को और व्यापक कर दिया है ताकि 'अलगाववादी गतिविधि की भावनाओं को प्रोत्साहित करना' भी अपराध बन जाए, सर्वोच्च न्यायालय की इस आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए कि भाषण को केवल तभी अपराध माना जा सकता है जब वह हिंसा को बढ़ावा देने से जुड़ा हो।

ग) एक और प्रावधान जो गंभीर चिंता का विषय है, वह है बीएनएस में धारा 226, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से आत्महत्या करने के किसी भी प्रयास को अपराध मानता है। इस कथित अपराध के लिए एक वर्ष तक की साधारण कारावास, जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा है। इस प्रावधान को भूख हड़ताल को प्रतिबंधित करने और लोगों के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को लक्षित करने के इरादे से देखा जा सकता है। भूख हड़ताल असहमति और प्रतिरोध का एक लोकतांत्रिक रूप है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक उत्साही और महत्वपूर्ण हिस्सा है – चाहे वह गांधी हो या भगत सिंह।

दूसरा, हम उन प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हैं जो पुलिस को बढ़ी हुई मनमानी शक्तियां प्रदान करते हैं जिसका देश में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

ए) बीएनएसएस की धारा 172 एक नया प्रावधान है जो पहले सीआरपीसी में मौजूद नहीं था। इस प्रावधान के अनुसार, सभी व्यक्ति अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने/हटाने का अधिकार है जो ऐसे आदेशों का विरोध, इनकार, अनदेखी या अवहेलना करता है। पुलिस अधिकारी 'ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है या, छोटे मामलों में, उसे चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जल्द से जल्द रिहा कर सकता है'। इस प्रकार पुलिस को गिरफ़्तारी के आसपास सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना व्यक्तियों को हिरासत में लेने की वैधानिक मंजूरी दी गई है क्योंकि इसे गिरफ़्तारी नहीं माना जाएगा।

बी) बीएनएसएस की धारा 37 प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में गिरफ्तार अभियुक्त के नाम, पते और अपराध की प्रकृति को भौतिक और डिजिटल रूप से 'प्रमुख रूप से प्रदर्शित' करने का आदेश देती है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति की निजता और मानवीय गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करने के अलावा, किसी भी औपचारिक दोषसिद्धि से पहले पुलिस द्वारा व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग और उन्हें लक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है।

सी) पुलिस को दिया गया एक और कानूनी हथियार बीएनएसएस की धारा 43(3) के तहत हथकड़ी लगाने की शुरुआत है, जो न केवल सीआरपीसी में अनुपस्थित था, बल्कि न्यायालयों द्वारा प्रथम दृष्टया अमानवीय, अनुचित और मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने के समान माना गया था। यह प्रावधान गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी लगाने की अनुमति देता है, अगर व्यक्ति आदतन बार-बार अपराधी, हिरासत से भागने वाले या संगठित अपराध या आतंकवादी कृत्यों जैसे कुछ अपराधों के आरोपी के मानदंडों को पूरा करता है।

डी) बीएनएसएस की धारा 173 के तहत, पुलिस को कुछ निश्चित श्रेणी के मामलों में आने वाली शिकायतों के लिए एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें तीन साल की सजा है, लेकिन सात साल से कम की सजा है। इसके बजाय पुलिस को 'प्रारंभिक जांच' करने और यह निर्धारित करने का विकल्प दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले 'प्रथम दृष्टया' मामला मौजूद है या नहीं। यह खतरनाक है क्योंकि यह पुलिस को मनमाना विवेक प्रदान करता है। यह ज्ञात है कि 'अपराध को छिपाना' यानी पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज किए बिना शिकायतकर्ताओं को वापस कर देना, देश में एक वास्तविकता है और दर्ज नहीं की गई एफआईआर की संख्या वास्तव में दर्ज की गई एफआईआर की संख्या के लगभग बराबर है। बीएनएसएस की धारा 173 प्रभावी रूप से अपराधों को छिपाने की बुराई को वैधानिक समर्थन प्रदान करती है।

ई) पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनियंत्रित हैं। हिरासत में अमानवीय यातना, हमला और मौतें खतरनाक अनुपात में पहुंच गई हैं और कानून के शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इस संबंध में, पुलिस हिरासत को सीमित करना आरोपी व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा में से एक है। सीआरपीसी की धारा 167 में यह अनिवार्य किया गया है कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के पहले पंद्रह दिनों के भीतर केवल पंद्रह दिनों तक के लिए पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। यह बीएनएसएस की धारा 187 द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया है जो पुलिस हिरासत की अवधि से संबंधित है और नीति हिरासत को वर्तमान 15 दिनों की पुलिस हिरासत सीमा से बढ़ाकर 60 या 90 दिन (अपराध के आधार पर) कर देती है। हिरासत की यह लंबी अवधि आरोपी को डराने, प्रताड़ित करने और खतरे में डालने का काम करेगी, जिससे 'खाकी' वाले खुद को कानून से ऊपर समझने लगेंगे और कभी-कभी खुद कानून बन जाएंगे।

तीसरा, ऐसा लगता है कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए आधे-अधूरे उपाय किए गए हैं। अगस्त, 2023 में संसद में बीएनएस, 2023 को पेश करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज़ोरदार घोषणा की कि नागरिक समाज द्वारा मॉब लिंचिंग के बारे में व्यापक शोर-शराबे के जवाब में, उनकी सरकार ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए हैं। हालांकि, बीएनएस में 'मॉब लिंचिंग' का ज़िक्र नहीं है; लेकिन धारा 103(2) और 117(4) ऐसे कामों को बिना किसी विशेष नाम के अपराध बनाती है। 'पांच या उससे ज़्यादा लोगों के समूह द्वारा नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करना' और गंभीर चोट पहुंचाना एक विशेष अपराध माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रावधानों में 'धर्म' को स्पष्ट आधार के रूप में नहीं बताया गया है, जबकि यह सार्वभौमिक मान्यता है कि धर्म मॉब लिंचिंग के लिए मुख्य प्रेरक कारकों में से एक है। जातिगत हत्याओं की तरह ही मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना या भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालना, नए भारत में रोजमर्रा की और अपरिहार्य वास्तविकता बन गई है।

चौथा, मनमाने और अमानवीय दंड को स्पष्ट रूप से मंजूरी देने वाले चिंताजनक प्रावधान हैं।

ए) बीएनएस की धारा 23 ने कुछ अपराधों के लिए सजा के रूप में 'सामुदायिक सेवा' की शुरुआत की है: 5,000/- रुपये से कम की संपत्ति की चोरी, सार्वजनिक रूप से नशे में व्यवहार, मानहानि, आदि। इस खंड में गंभीर दुरुपयोग और दुर्व्यवहार की संभावना है, यह देखते हुए कि सामुदायिक सेवा की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सिवाय इसके कि इससे समुदाय को लाभ होता है। सामुदायिक सेवा का गठन करने के लिए परिभाषा और वैधानिक ढांचे की यह कमी गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा पारित मनमाने और समस्याग्रस्त आदेशों के प्रकाश में, सामुदायिक सेवा के मनमाने और अवैध कार्यों को निर्देशित करते हुए, जमानत शर्तों या मामूली अपराधों के लिए सजा के हिस्से के रूप में।

बी) हथकड़ी लगाने के साथ-साथ, बीएनएसएस की धारा 11 एकांत कारावास की अमानवीय सजा का समर्थन करती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोवैज्ञानिक यातना और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। किसी भी अपराधी को, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर, न्यायाधीश के पूर्ण विवेक पर एकांत कारावास में रखा जा सकता है।

पत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जयसिंह ने भी आपसे इन कानूनों के क्रियान्वयन में देरी करने की अपील की है। उन्होंने अन्य कारणों के अलावा, ऐसी विषम स्थिति की संभावना का हवाला दिया है, जहां अगले 20-30 वर्षों तक 'दो समानांतर आपराधिक न्याय प्रणालियां' जारी रह सकती हैं, साथ ही लंबित मामलों पर नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव का भी हवाला दिया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि नए आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन में तब तक देरी की जाए, 'जब तक सभी स्तरों पर न्यायपालिका, जांच एजेंसियां, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और इस देश के नागरिकों सहित सभी हितधारकों को इन कानूनों के क्रियान्वयन और न्याय तक पहुंच के लिए इसके निहितार्थों पर बहस और चर्चा करने का अवसर न मिल जाए।' हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

(जे पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

विशेष संपादकीय

मृत्यु अपनी अपनी सोच

जन्म के साथ ही सांसों का सफर जहां थम जाए वही मृत्यु है। मृत्यु रहस्य है, भय है, विछोह है, शाश्वत सत्य है और मोह है। किसी ने कहा है मन जितना जीना चाहे, तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए।

मैं मृत्यु पर नहीं मृत्यु के मायने किसके लिए क्या होते हैं इस पर लिख रहा हूं क्योंकि यह सब हमारे चारों ओर घटित होता है और किसी के मरने से ले कर उसके बारवें तेरहवें तक क्या प्रतिक्रिया होती है और हम उस प्रतिक्रिया में कहां फिट बैठते हैं देखिए।

किसी व्यक्ति का दुनिया से जाना उस व्यक्ति की संतान और पति या पत्नी के लिए अत्यंत दुखद है, फिर दुखद उनके लिए है जो परिजन हैं सगे हैं और मित्र हैं। उनके लिए सुखद जो मरने वाले से स्वयं दुःखी थे या उनका कोई अपना प्रियजन दुःखी था। मृत्यु किसी के लिए चौंकाने वाली, दुखद, सामान्य और सुखद खबर होती है। कुछ भविष्यवक्ता कह उठते हैं हमें तो मालूम था यह होगा ही।

मरने के पहले मृतक के कर्मों का लेखाजोखा रखने वाले अलग ही होते हैं और मृत्यु के प्रकार पर कर्मों की गणना स्वयं चित्रगुप्त की तरह करते हैं। कोई कहेगा बड़ा बुरा हुआ, कोई इसे ईश्वर की नाइंसाफी कहेगा, कोई कहेगा अच्छा हुआ गति सुधार गई, अच्छा हुआ भोग रहे थे मुक्त हुए। कोई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में होने वाली गति का निर्धारण कर देता है, यहां तक कि स्वर्ग मिला या नर्क यह भी तय कर देते हैं।

किसी की मृत्यु की खबर जंगल में दावानल की तरह नहीं, पेट्रोल में आग की तरह फैलती है इसमें होड़ यह होती है कि सबसे पहले कितने लोगों तक खबर पहुंचा कर हम खबरवीर हो जाएं इन लोगों को यह सद्कार्य कर उतना ही संतोष मिलता है जितना मृतक के परिजनों को दुःख होता है।

अन्तिम संस्कार में शामिल होने वाले परिजन आवश्यक, पड़ोसी कर्तव्य से बंधे, मित्र दुख के सहभागी, रिश्तेदार कुछ मजबूरी कुछ लोकलाज के भय से शामिल होते हैं और कुछ भय और रोमांच के लिए भी चले जाते हैं।

उठवाने की रस्म मुंह दिखाई हो गई है, जिन्हें अंतिम संस्कार में लगने वाले तीन चार घंटे की बरबादी और वहां से आ कर नहाने का कष्ट हो वह उठावने में मुंह दिखा कर जता जाते हैं कि वे दुःख के सहभागी हैं। कुछ शोकपत्र के माध्यम से दुख जाता देंगे कुछ तेरह दिन में कभी भी घर जा कर मुंह दिखा आएंगे।

बारहवें, तेरहवें में कुछ जिम्मेदार होते हैं जो स्वयं काम की जिम्मेदारी ले कर चुपचाप इसे निभाते हैं, कुछ यदि मदद करते हैं तो इसे जताने से भी बाज नहीं आते हैं। पगड़ी रस्म है, किसी के लिए परंपरा, किसी पर बोझ, किसी के लिए लोक दिखावा और किसी के लिए प्रदर्शन है। नुक्ते में वे लोग भी शामिल होते हैं जो परिजन हैं या मजबूरन हैं, वो भी हैं जिन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रखा है पर स्वयं इस प्रथा को अपने घर से बंद करने की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। इन सब रस्मों रिवाजों के बाद वह नितांत अकेला है जो दुखी है इस दुख की घड़ी में किसने उसके जख्मों पर मरहम लगाया है किसने नमक छिड़का है यह सिर्फ वही जानता है। मौत ने आज तक कोई घर नहीं छोड़ा है यह सदैव याद रहना चाहिए। किसी ने सच कहा है मौत सबको आनी है कौन इससे छूटा है, तू फना (नष्ट) नहीं होगा ये खयाल झूठा है।

मोदी को भारत की सीमाओं की सुरक्षा से नहीं कोई मतलब

पेज 1 का शेष

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने कहा है कि चीन से कर्ज़ लेकर तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने के मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए उस देश की ओर से की गई सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए ही कई संबंधित गतिविधियां शुरू की गई हैं.

हसीना पहले ही चीन से कर्ज़ हासिल करने में बांग्लादेश की दिलचस्पी का ज़िक्र कर चुकी हैं.

शेख़ हसीना ने बुधवार को संसद में एक सवाल के जवाब में कहा, 'सरकार ने तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने के लिए चीन से आसान शर्तों पर कर्ज़ मुहैया कराने के लिए अनुरोध करने का फैसला किया है.'

उनका कहना था कि उत्तर बंगाल में तीस्ता नदी के तटवर्ती इलाक़ों में रहने वाले लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए इस मास्टर प्लान को लागू करने की पहल की गई है. इसके लिए चीन सरकार की आर्थिक सहायता से एक सर्वेक्षण भी किया गया है.

कई विश्लेषकों का मानना है कि अब तक भारत की आपत्ति के कारण ही बांग्लादेश इस परियोजना को लेकर चीन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था. शेख़ हसीना सरकार के चौथी बार सत्ता में आने के बाद ढाका में चीन के राजदूत ने इस परियोजना में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई थी.

लेकिन बीते महीने भारत के विदेश सचिव के ढाका दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने पत्रकारों को बताया था कि भारत तीस्ता परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देना चाहता है. विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश ऐसा कुछ करना नहीं चाहेगा जिससे भारत असंतुष्ट हो.

प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण में चीन की आर्थिक सहायता का ज़िक्र करने के बावजूद भारत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मास्टर प्लान के मुद्दे पर इन देशों के आपसी संबंधों और स्थिति में कोई बदलाव आया है?

एक और सवाल यह है कि अगर यह परियोजना लागू हो गई तो क्या भारत के साथ तीस्ता के पानी के बंटवारे पर समझौते की ज़रूरत खत्म हो जाएगी?

प्रधानमंत्री ने संसद में बताया है कि 8,210 करोड़ रुपये का पीडीपीपी (प्रारंभिक विकास परियोजना प्रस्ताव) अगस्त, 2020 में वित्त मंत्रालय के समक्ष पेश किया गया था.

चीनी सरकार ने बीते साल पांच मार्च को पीडीपीपी पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी थी.

शेख़ हसीना ने संसद को बताया कि रिपोर्ट में 'बड़े पैमाने पर भूमि विकास और इस्तेमाल के अलावा नेविगेशन सिस्टम के विकास में ज्यादा विश्लेषण की कमी और बड़े पैमाने पर निवेश' का जिक्र किया गया है.

चीन ने और विस्तृत सर्वेक्षण की सलाह दी है. शेख हसीना ने कहा, 'उस सलाह के संदर्भ में ही अगला कार्यक्रम लागू किया जा रहा है.'

क्या है मास्टर प्लान में?

नदी अनुसंधान संस्थान के सदस्य जल संसाधन अभियंता मलिक फ़िदा अब्दुल्ला खान ने बताया कि तीस्ता मास्टर प्लान

मूल रूप से तीन उद्देशयों को सामने रख कर तैयार किया जा रहा है. इनमें बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और ज़मीन दोबारा हासिल करना शामिल है. बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में एक बहुउद्देशीय बैराज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है. कुछ जगह नदी की चौड़ाई पांच किलोमीटर तक है, उसे कम किया जाएगा. इसके साथ ही ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी. तटबंधों की मरम्मत कर उनको मजबूत बनाने का काम भी किया जाएगा.

यह काम पूरा होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा. उसका इस्तेमाल भूमिहीन लोगों के लिए खेती या औद्योगीकरण में किया जा सकेगा.

दूसरी ओर, बाढ़ और तटकटाव पर अंकुश लगने की वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम हो जाएंगी.

समझौते का विकल्प नहीं

इस मास्टर प्लान के लागू होने पर बारिश के मौसम में तो तीस्ता घाटी में रहने वाले लोगों की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी. लेकिन शुष्क मौसम में तीस्ता में पानी का प्रवाह बहुत कम हो जाने की स्थिति में क्या होगा? नदी विशेषज्ञ फ़िदा अब्दुल्ल खान बताते हैं, 'शुष्क मौसम के लिए ही पानी के बंटवारे पर समझौते की ज़रूरत है. भारत के साथ समझौता नहीं करने की स्थिति में सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता की गारंटी नहीं होगी. यही वजह है कि यह मास्टर प्लान तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर समझौते के विकल्प के तौर पर काम नहीं करेगा.' भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी पर समझौते को भी जनवरी से मई तक के पांच महीनों के शुष्क मौसम को ध्यान में रख कर ही किया गया है.

हालांकि बांग्लादेश के कई शोधार्थियों ने दावा किया है कि समझौते की प्रतिबद्धताओं को 'हमेशा पूरा नहीं किया गया है.'

वर्ष 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान ही तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था. लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण वह अधर में लटक गया.

वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के एक साल बाद यानी वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को साथ लेकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे. वहां उन्होंने तीस्ता के पानी के बंटवारे पर एक समझौते पर सहमति का भरोसा दिया था. लेकिन उसके बाद करीब दस साल बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है.

जिंदल स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में प्रोफ़ेसर और बांग्लादेश मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता कहती हैं, 'शुष्क मौसम में खेती के लिए तीस्ता के पानी की जरूरत पड़ती है. इसलिए इस मुद्दे पर कोई समझौता होने से पहले इस शुष्क मौसम के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए भारत के विकल्प की तलाश करना उचित होगा.'

चीन-भारत समीकरण

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शेख़ हसीना जुलाई के पहले पखवाड़े के दौरान चीन के दौरे पर जाएंगी. वो उससे पहले इस महीने की 21 तारीख को दो दिनों के भारत दौरे पर भी जाएंगी.

हालांकि शेख़ हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एक बार भारत का दौरा कर चुकी हैं.

डॉक्टर श्रीराधा दत्ता बीबीसी बांग्ला से कहती हैं, 'दोनों देशों के आपसी संबंध चाहे कितने भी बेहतर हों, तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के समझौते पर जारी गतिरोध दूर नहीं होने तक यह बांग्लादेश की दुखती रग बना रहेगा. अगर भारत की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला को वह स्वाभाविक रूप से चीन के करीब जाएगा. इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है.' लेकिन उनको भरोसा है कि शेख़ हसीना सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे भारत नाराज़ हो.

प्रोफ़ेसर दत्ता कहती हैं, 'इस तरह देखा जाए तो बांग्लादेश को भारत की सकारात्मक स्थिति के प्रति आश्वस्त होकर ही आगे बढ़ना चाहिए.'

किसानों को सम्मान निधि नहीं पंगु बनाने का षड्यंत्र

पेज 1 का शेष

ताकि कृषि आदानों की लागत बढ़ने से आर्थिक रूप से किसानों की कमर टूट जाए। उस पर मरहम लगाने उन्हीं बढाई हुई कीमतों से कृषकों को सम्मान निधि देकर पंगु बना रही है।

वह पैसा पानी में नहीं डाल रही। वह गुजराती मोदी जिसकी रग रग में व्यवसाय भरा हुआ है। किसानों को मुफ्तखोरी की आदत डाल उनकी जमीन हड़पने का यह प्रारंभिक स्तर का षड्यंत्र कर रही है। जिन पर देश ही नहीं दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों 18वीं शताब्दी में आए डच पुर्तगीज ब्रितानियों की ब्रिटिश टोबैको कंपनी की सहयोगी आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी जिसमें 52% शेयर बीटीसी का है। जो अभी भी भारत में काम कर रही है। 20 लाख हेक्टेयर जमीन सै ज्यादा हथिया चुकी है।

हिंदुस्तान लीवर पारले-जी भी ब्रिटिश कंपनियां भारत में काम कर रही है। वर्तमान की अमेरिकन अमेजॉन वॉलमार्ट गूगल की नजरे पिछले 300 सालों से गड़ी हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लगाने का उद्देश्य भी पूरे बाजारों पर कब्जा कर किसानों की जमीन छीन कर उनको बेरोजगार बनाकर रु.1 किलो का गेहूं रु.2 किलो का चावल खिलाकर भारत की खासतौर से मालवा और उसके पठार से लेकर महाराष्ट्र की काली मिट्टी के साथ देश की कृषि भूमि पर कब्जा कर यंत्रीकरण से खेती कर जनता को लूटने, भिखारी बनाने का षड्यंत्र है। यह देश के किसानों को उन्हीं की जमीनों पर बंधुआ मजदूरी करवाने का षड़यंत्र किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रखैल भेड़िया झुंड पार्टी यह पैसा मुफ्त में नहीं लंबे षड़यंत्र के अंतर्गत किसानों को बांट रही है। ताकि वह सारे दिन निठल्ले बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम से फुर्सत मिल जाए तो तीन पत्ती ताश खेलकर समय पूरा करें क्योंकि सरकार रु.2000 महीने देकर उनके घर खर्च चलाने लायक इंतजाम तो कर ही देगी। और जब जमीन में बिक जाएगी बेरोजगार हो जाएंगे तो वह धन देना बंद कर देगी तो अपने आप यह अपनी ही जमीनों पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अंग्रेजों के असम के चाय के बागानों की तरह उनकी महिलाओं का उपभोग नेता अधिकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी करते रहेंगे।

यह कहानी तत्काल राजनीतिक दलों किसान संघों को भी किसी को समझ में नहीं आ रही होगी।

थाई सदन ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी

पेज 8 का शेष

लंबे समय से आ रहा है: अधिवक्ता विवाह समानता कानून पारित करने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जो यदि सीनेट में पारित हो जाता है तो यह राज्य एशिया में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा।

कल थाई प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी, जो देश को दक्षिण पूर्व एशिया में किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों के लिए समान अधिकारों को वैध बनाने वाला पहला देश बना देगा।

इस विधेयक को सदन के 415 सदस्यों में से 400 की मंजूरी के साथ अंतिम रूप से पारित कर दिया गया, जिसमें 10 ने इसके खिलाफ मतदान किया, दो ने मतदान से परहेज किया और तीन ने मतदान नहीं किया।

यह विधेयक नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन करता है, ताकि 'पुरुष और महिला' और 'पति और पत्नी' शब्दों को 'व्यक्ति' और 'विवाह भागीदार' में बदला जा सके। यह LGBTQ+ जोड़ों के लिए पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकारों तक पहुंच खोलेगा।

कल बैंकॉक में थाई प्रतिनिधि सभा में विवाह समानता विधेयक के पारित होने का जश्न मनाने के लिए मूव फॉरवर्ड पार्टी के सांसदों

ने सेल्फी ली।

मूव फॉरवर्ड पार्टी के सांसद कल बैंकॉक में थाई प्रतिनिधि सभा में विवाह समानता विधेयक पारित होने का जश्न मनाने के लिए सेल्फी लेते हुए।

अब यह विधेयक थाई सीनेट के पास जाएगा, जो निचले सदन से पारित किसी भी कानून को शायद ही कभी खारिज करता है, और फिर शाही अनुमोदन के लिए राजा के पास जाएगा। इससे थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला देश बन जाएगा और ताइवान और नेपाल के बाद एशिया में तीसरा देश बन जाएगा।

भारत की सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में इसी तरह के कानून पर फैसला अपनी संसद को सौंप दिया था।

परिणाम के बाद, एक प्रतिनिधि सदन में इंद्रधनुषी झंडा लेकर आया। 'आज समाज ने हमें साबित कर दिया है कि वे LGBT अधिकारों की परवाह करते हैं,' प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी के थाई प्रतिनिधि तुन्याावाज कामोलवोंगवात ने कहा, जिसने LGBTQ+ अधिकारों के लिए जोर दिया है। 'अब आखिरकार हमारे पास दूसरों के समान अधिकार होंगे।' सत्तारूढ़ फेउ थाई पार्टी के प्रवक्ता और विवाह समानता विधेयक की देखरेख करने वाली समिति के अध्यक्ष डैनुफॉर्न पुन्नाकांता ने सदन में कहा कि यह संशोधन 'थाईलैंड में सभी लोगों' के लिए है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, और विषमलैंगिक जोड़ों को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

उन्होंने कहा, 'हमने समाज में असमानता को कम करने और समानता बनाने के लिए सभी थाई लोगों के लिए ऐसा किया।' 'मैं आप सभी को इतिहास बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ।'

उन्होंने कहा, 'इस कानून के लिए, हम [LGBTQ+ समूह. को अधिकार वापस करना चाहेंगे। हम उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये मौलिक अधिकार हैं जो इस समूह के लोगों ने खो दिए हैं।'

हालांकि, सांसदों ने कानून में 'पिता और माता' के अलावा 'माता-पिता' शब्द को शामिल करने को मंजूरी नहीं दी, जिसके बारे में अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कुछ LGBTQ+ जोड़ों के परिवार बनाने और बच्चों की परवरिश करने के अधिकारों को सीमित करेगा।

हालाँकि थाईलैंड की स्वीकृति और समावेशिता के लिए प्रतिष्ठा है, लेकिन विवाह समानता कानून पारित करने के लिए इसे दशकों तक संघर्ष करना पड़ा है।

इस विधेयक के पारित होने से थाईलैंड की स्थिति को लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर मुद्दों पर एशिया के सबसे उदार समाजों में से एक के रूप में मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पारंपरिक, रूढ़िवादी बौद्ध मूल्यों के साथ खुलापन और मुक्त-व्यवहार रवैया मौजूद है।

कार्यकर्ता समूह फोर्टिफाई राइट्स के प्रवक्ता मूकडापा यांग्युएनप्राडर्न ने कहा, 'यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम है - यह दक्षिण पूर्व एशिया में पहला कदम है।'

साप्ताहिक समय माया

एशिया के थाईलैंड में भी समलैंगिक विवाह को मंजूरी

90% समलैंगिकता का कारण बढ़ती व्यवसायिकता व कानून

बढ़ती शिक्षा, व्यवसायीकरण, विवाह में देरी, कड़े कानून, संबंध बनाने में सामाजिकता का अभाव अप्राकृतिक समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहा

पृथ्वी पर सामान्य जीवन चक्र चलाने के लिए नर व मादा का मिलन, संभोग और उससे जनन होना प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। जो कि वनस्पतियों से लेकर जीवित प्राणियों में भी पृथ्वी पर जीवन चक्र को चलायमान रखता है। प्रकृति के अन्य सभी वनस्पतियां व प्राणी प्रकृति के इस चक्र को प्राकृतिक तरीके से पूरा करते हैं। कल्पना कीजिए यदि वे सभी भी समलैंगिक हो जाएं। तो प्राणियों की अपेक्षा वनस्पतियां जिसे मनुष्य के आहार गेहूं दाल चावल फल फूल सब्जियां सभी शीघ्र ही पुनरूत्पादन के अभाव में 2-5, 10 वर्षों में प्रकृति से नष्ट हो जाएंगे। तो समलैंगिकता को देश व दुनिया की अनेकों सरकारों द्वारा वैध व जायज ठहराने वाला मनुष्य क्या खाएगा और कैसे जीवित रहेगा? आयुर्वेद में जो विश्व का सबसे पुराना धरती पर मनुष्य के साथ प्राणियों की चिकित्सा का प्राकृतिक ऋतुओं, जलवायु के साथ धरती पर पाई जाने वाली वनस्पतियों उनकी जड़ी बूटियां पत्तियों, फूल, फल, तने, छाल के साथ जीवित व मृत प्राणियों से प्राप्त तत्वों यथा दूध, घी, मक्खन वसा जो विपरीत लिंगी के संभोग से नए बच्चों के जन्म होने पर ही प्राप्त होता है, व पदार्थो से प्राणियों को निरोगी बनाने का विज्ञान है। उसमें भी समलैंगिकता के बारे में वर्णित किया गया है। पर वह भी यही बताता है, की विपरीत लिंगी से सामांजस्य न बैठने, अभाव होने पर स्त्री व पुरुष दोनों ही उपलब्ध समलैंगिकों से संबंध बनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि हर वयस्क प्राणी की पेट की क्षुधा के बाद यौनाचार की नैसर्गिक आवश्यकता होती हैजो प्रकृति में प्रकृति का जीवन चक्र चलाने व वंश वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। हम सभी इसी प्रकृति के अपने माता-पिता के संसर्ग या संभोग से जन्मे प्राकृतिक प्राणी हैं।

भारतीय आयुर्वेद के अतिरिक्त भी अधिकांश शास्त्रों का स्पष्ट लीक है कि है प्राणी तेरा जन्म संभोग से संभोग के लिए हुआ है पर वह संभोग विपरीत लिंगी के साथ में होने के बाद ही नए प्राणी का जन्म होगा। और समलैंगिकता इसका अपवाद और प्रकृति को नष्ट करने वाला है। जो पूर्णता: अवैध अस्वीकार्य है। सिर्फ कृति में हर पानी का उपयोग जन्म के बाद मात्र वयस्क होने पर संभोग कर नए प्राणी को जन्म देना और अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर नष्ट हो जाना है। प्रकृति में वयस्कता का अर्थ नर के वीर्य उत्पादन और स्त्री के रजोत्पादन से है। दोनों का संभोग होने पर नये बच्चे के जन्म के योग्य होने से है। वैधानिक वयस्कता भले ही 18 वर्ष की उम्र के बाद मानी जाती हो। यथार्थ में भारत की जलवायु गर्म होने के कारण पुरुष14

-15 वर्ष की उम्र में ही वयस्क हो जाते हैं। और भारत में स्त्रियां 11-12 साल की उम्र में वयस्क हो रजोत्पादन करने लगती हैं।

परंतु भारत में तो विश्व घातक संगठन और ईसाई मिशनरियों के इशारे पर स्त्रियों की शादी की उम्र को ही 21 साल कर दिया। इस कारण हिंदू पुरुषों स्त्रियों के विवाह के अभाव में और शिक्षा प्राप्त व नौकरी करने के लिए घरों से दूर महिला पुरूष छात्रावासों में रहने या मित्र सहेलियों के साथ रहने जबकि यही उम्र भारत में मुस्लिम स्त्रियों के लिए उच्च न्यायालय ने 13 वर्ष भी निकाह करने के लिए खुली छूट दे रखी है। जो कि हिंदुओं के साथ दोहरे स्तर के मापदंड के साथ समान नागरिक आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन है।

सनातनी स्त्री पुरुषों के विवाह में कानून की यह बाधा और बढ़ती हुई ज्यादा शिक्षा का चलन, नौकरी और तरीके से स्थायित्व व बढ़ती हुई जीवन लागत महंगाई के कारण ज्यादा धन कमाने बचाने के चक्कर में दीर्घ समय तक समलिंगियों के साथ जीवन यापन करने के कारण समलैंगिकता को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि उन्हें विपरीत लिंगियों का उचित आयु और समय पर साथ और सहयोग नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ स्त्रियों में धन कमाने की चाहत ने यौनाचार को व्यवसायिक बना दिया। इससे भी सनातनी हिंदू पुरूषों में समलेंगिकता मजबूरी बन गया। जहां तक थाईलैंड का सवाल है। वहां की सरकार स्वयं स्वीकार करती है, कि हमारे देश की स्त्रियां वेश्यावृत्ति से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाती हैं। थाईलैंड की स्त्रियां विश्व भर से आने वाले पर्यटकों के लिए अपने तन को पर्यटकों के सामने सौंपने व मोटी कमाई करने के कारण अपने ही देश के युवा पुरुषों को यौन सुख से वंचित रख उनको समलैंगिकता की तरफ धकेलने के लिए बात कर रही है जिसे सरकार ने कानूनी जामा पहना दियाजो की बिल्कुल अनुचित है यदि थाईलैंड के पुरुषों में समलैंगिकता बढ़ेगी तो स्त्रियों का जन्म कैसे होगा क्योंकि पर्यटक तो वहां केवल योनाचार की दमित इच्छाओं को पूरा करने ही जाते हैं। क्योंकि विश्व के हर देश में महिलाओं को नौकरी पर जाने के कारण पुरुषों को पर्याप्त समय देकर योनाचार नहीं करती। इसलिए विश्व भर के धनाढ्य पुरुष उन्मुक्त यौनाचार के लिए ही थाईलैंड जाते हैं। पर यह पढ़कर कड़वा लगा की थाईलैंड में वहां की स्त्रियों की वैश्यावृत्ति की व्यवसायिकता के कारण, पुरुषों को स्त्रियों के अभाव में सरकार भी समलैंगिकता को रोकने, कारण जानने और निदान करने की अपेक्षा समलैंगिक विवाहों को ही कानूनी मान्यता दे रही है।

(शेष पेज 7 पर)

क्या चुनाव आयुक्त के विरुद्ध लाया जाएगा महाअभियोग

भारत के संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया निर्मित की गई है। यह प्रक्रिया उच्च पदों संवेधानिक पदों पर बैठे हुए पर बैठकर देशद्रोह, अथवा भ्रष्टाचार अथवा कदाचार अथवा पदानुकूल आचरण न किये जाने की अवस्था में, उसे पदच्युत करने के लिए रखी गई है। इसका अधिकार, संसद के पास है। संसद याने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनो से मिलकर बना- एक निकाय। संसद, देश की सुप्रीम बॉडी है, नियंत्रक है, जो कानून बनाती है, धन का प्रवाह नियंत्रित करती है, और शासन करती है। और शासन के सम्पादन हेतु उपयुक्त लोगो को विधि अनुसार नियुक्त करती है। उन्हें निर्दिष्ट कार्य के अधिकार डेलीगेट करती है। नियुक्त किये गए व्यक्ति को भी सम्विधान कुछ उन्मुक्तियाँ (संरक्षण) देता है, ताकि वह निर्भय होकर काम करे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों, चुनाव आयोग, सीएजी वगैरह को यह उन्मुक्तियाँ हैं। ऐसे में, जब पदारूढ़ व्यक्ति अपने निर्दिष्ट काम न करे, या निर्दिष्ट दायरे से बाहर जाकर काम करे, तो निकाल बाहर करने का अधिकार सन्सद को है। कुछ मामलों में (जज वगैरह के लिए) 10% सांसद (55) महाभियोग का नोटिस दे सकते हैं। कुछ मामलों में

(राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह) के लिए 25% सांसद (करीब 140) नोटिस दे सकते हैं। नोटिस 14 दिन पहले सर्व होना चाहिए। नोटिस पर बहस होगी, वोटिंग होगी। सिम्पल मैजोरिटी या तीन चौथाई मैजोरिटी, जैसा भी उस पद के लिए लिखा है, उतने वोट मिले तो प्रस्ताव पारित माना जायेगा, और पद से वह व्यक्ति उसी समय च्युत मान लिया जायेगा। विपक्ष आज मजबूत है। सँख्या बल में वह सत्ता पक्ष से बस जरा पीछे है। वह नियुक्तियों को प्रभावित करने के पक्ष में नही। मगर संवेधानिक पदों पर बैठकर, निष्पक्ष, विवादरहित तरीके से, कर्तव्य निर्वहन में असफल रहे लोगो को पदच्युत कर सकने की ताकत उसके पास है। विपक्ष को कुछ उदाहरण खड़े करने की जरूरत है। संवेधानिक पद पर बैठकर, ताबेदार बने रीढ़हीनो से, राजधर्म को हुजूर के जूतों में रख देने वाली जमात से, छांटकर कुछ के नाम निकालने चाहिए। कुछ जज हो सकते हैं। कुछ संवेधानिक पदों ओर आसीन शख्स हो सकते हैं। इनके कर्म, जगजाहिर है, प्रश्नों और संदेहों के अधीन हैं। महाभियोग लगाना चाहिए। इन पर लगाए गए आरोप, उस पर पक्ष विपक्ष की बहस, सांसदों के भाषण, सदन में कार्यवाही पर रिकार्ड उनके करियर का उचित सबाब होगा। अगर इम्पीच्ड चाहे तो उसका जवाब, और उस जवाब की बाल की खाल- जनता के सामने आए।

महाभियोग सफल न भी हो पाए, तो भी ये उदाहरण, भविष्य में लोगो को भ्रष्ट होने से रोकने का एक डिटरेंट बनेगा। चुनाव आयुक्त अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। उनके झोले में बहुत कुछ है- मशीनों को लेकर, डेटा को लेकर, पारदर्शिता को लेकर,महाराष्ट्र में पार्टियों की टूट पर कोर्ट की कटूक्तियाँ हैं। बाकी तो @INCIndia कुछ कपिल सिब्बल और सिंघवी भी बताएंगे। आचार संहिता की अनुपालना कराने में असफलता को लेकर, जिसमे फेलियर के आधे उदाहरणों में स्वयं पीएम कलप्रिट हैं.. अब इस झोले के उठाने का समय आ गया है। मशीन या बैलट का सवाल बाद में, पहले तो अति भ्रष्ट राजीव कुमार से छुटकारा पाया जाए।

साप्ताहिक समय माया
samaymaya.com
करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत
साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें
मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है
मो. 9425125569 / 9479535569
ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958